12-1-22 पत्रावली पेश हुई वकील वादीगण के [illegible]
[illegible] के बाद वादीगण प्रत्यक्षिक हिन्दी [illegible]
[illegible] वादीगण प्रत्यक्षिक हिन्दी किया जाना [illegible]
[illegible] के लिये कार्यवाही पर [illegible]
किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि [illegible]
गाटा सं० 234 रकबा 1.0700 है०, खसरा सं० 236 रकबा [illegible]
कुल मिला-2 कुल रकबा 5.3900 है० मौजा [illegible]
तहसील चिड़ावा के गोके पर मानव लगाकर [illegible]
मौजदगी में गोके, कटके व राजस्व रिकार्ड से [illegible]
विधिवत विभाजन प्रस्ताव तैयार करें। विभाजन प्रस्ताव [illegible]
करते समय नाली प्रावधान रखा जावे। पत्रावली [illegible]
तहसीलदार चिड़ावा को तलब जारी हो। मिसल [illegible]
विभाजन प्रस्ताव हेतु दिनांक 8-2-22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा

8/2/22 पत्रावली पेश हुई वकुलाम फरिकेन [illegible]
[illegible] अधिकारी आज दीगर [illegible]
है [illegible] पर हैं। अतः पत्रावली [illegible]
आगन्दा दिनांक 24/2/22 को पेश हो।

24/2/22 पत्रावली पेश हुई मिसल आमदन वकील वादी [illegible]
प्रस्तुत हुई। दिनांक 07/03/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा

पत्रावली पेश हुई वकुलाम फरिकेन उपस्थित
पीठासीन अधिकारी आज दीगर कार्य से व्यस्त
7-3-22 हैं। स्थगन पर हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार
आगन्दा दिनांक 11-3-22 को पेश हो।

11/03/22 पत्रावली पेश हुई पत्रावली पर विभाजन प्रस्ताव
शामिल मिसल रहे। वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई
आदेश मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी अन्तिम
डिक्री करने का निवेदन किया। वाद वादी मुताबिक
विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन
प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार
चिड़ावा को आदेश दिये जाते हैं कि वे विभाजन प्रस्ताव
के मुताबिक पक्षकारान का राजस्व रिकार्ड में मिसल
दुरुस्त करें। पक्की डिक्री जारी हो। पत्रावली [illegible]
[illegible] की जाकर बाद तकमील जाब्ता दाखील दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Chaudhary
Date: 2022.09.30 13:15:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner